न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
06 / 2022	08 / 02 / 2022	13 / 10 / 2025

1. रामगोप पुत्र श्री दुलीचन्द जाति मीना निवासी ग्राम राजपुरा तह० पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान।
2. नन्दकिशोर पुत्र श्री दुलीचन्द जाति मीना निवासी ग्राम राजपुरा तह० पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान।
3. रामप्रताप पुत्र श्री दुलीचन्द जाति मीना निवासी ग्राम राजपुरा तह० पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान।
4. बृजबिहारी पुत्र श्री दुलीचन्द जाति मीना निवासी ग्राम राजपुरा तह० पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान।
5. तस्वीर पुत्री श्री दुलीचन्द जाति मीना निवासी ग्राम राजपुरा तह० पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान।
6. रामलीला पुत्री श्री दुलीचन्द जाति मीना निवासी ग्राम राजपुरा तह० पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान।
7. पानाबाई पत्नि श्री दुलीचन्द जाति मीना निवासी ग्राम राजपुरा तह० पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान।

वादीगण

बनाम

1. लटूरलाल पुत्र बीरधीलाल जाति मीना ग्राम देव खेडली तह० पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान।
2. सावित्री पुत्री बीरधीलाल जाति मीना ग्राम देव खेडली तह० पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान।
3. मनभर पुत्री जाति मीना ग्राम देव खेडली तह० पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान।
4. कमलेश पुत्री जाति मीना ग्राम देव खेडली तह० पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान।

प्रतिवादीगण

वादीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री सत्यनारायण मीणा एड0।
प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– प्रतिवादीगण स्वयं उपस्थित।

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर0टी0एक्ट

निर्णय

वादी ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के पिता एवं प्रतिवादीगण 1 से लगायत 4 कि माँ रामनाथी एक पीढी पूर्व एक ही परीवार के सदस्य एवं सगे भाई बहिन थे, और प्रतिवादीगण कि माँ एक महिला खातेदार है जिसकी शादी ग्राम देवखेडली में हो जाने कि वजह से वह ग्राम राजपुरा कि

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

आराजी एवं अपने पिता कि आराजी पर कभी भी काबिज काश्त नहीं रही है और न ही कभी किसी प्रकार का तकाजा उक्त आराजी बाबत किया है। बल्की उक्त आराजी पर वादीगण एवं वादीगण के पिता ही काबिज काश्त हमेशा से चले आ रहे हैं, और महिला खातेदार अपने–अपने ससुराल जाकर अपने परिवार के साथ जीवन यापन करने लग गई उक्त वाद के सभी वादीगण उक्त कृषि भूमि में कृषि कार्य करके अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करते है। वाके माल राजपुरा पटवार क्षेत्र बम्बुलिया खुर्द मे खैवट खतोनी संख्या नई 126 पुरानी 113 मे ख0न0 165 रकबा 0.04 है०, ख0न0 301 रकबा 3.70 है०, ख०न० 350 रकबा 0.14 है०, ख0न0 351 रकबा 0.08 है०, ख0न0 415 रकबा 3.00 है0 कुल किता 5 का रकबा 6.96 हैक्टेयर भूमि सामलाती खाते कि आराजी वादीगण के पास स्थित है। सम्पूर्ण आराजी मे वर्तमान में वादीगण व उनकी भुआ रामनाथी खातेदार है और रामनाथी कि मृत्यु हो चुकी है और उसके वारीस प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 मौजुद है जिनको रेवेन्यु रिकॉर्ड मे गलत रूप से एवं रेवेन्यु अधिकारियो द्वारा अज्ञानतावश नाम दर्ज करने से पक्षकार बनाया है प्रतिवादीगणो कि माँ रामनाथी खातेदार कि मृत्यु हो चुकी है। इसलिए उसकी जगह उसके वारीसों को पक्षकार बनाया है अर्थात उनकी मृत्यु हो जाने कि वजह से एवं उनका उक्त रेवेन्यु रिकॉर्ड एवं आराजी से पूर्व से ही कोई सरोकार नही होने से पक्षकार नही बनाया और उपरोक्त वर्णित आराजी से मृतक खातेदार के नाम वादीगणो के पक्ष मे खाते से डिलीट किया जाने का निवेदन किया है। इसके साथ ही उक्त वाद मे वादी एवं प्रतिवादी मीना जनजाति के व्यक्ति है और उक्त वाद मे महिला खातेदारो का मौका स्थिति पर एवं कानूनन उक्त आराजी से कोई सरोकार नहीं है महिला खातेदार अपने पिता कि भूमि मे कोई अधिकार नहीं बनता है क्योंकि उन पर हिन्दू उत्तराधिकार लागू नहीं होता। ऑल्ड हिन्दू लॉ एवं कोटा सर्कलुर लागू होता है। जिसके तहत उन्हें मात्र भरण–पोषण कि व्यवस्था नही होने तक मात्र उपयोग–उपभोग का अधिकार प्राप्त है। उक्त वाद मे वादीगणो के पक्ष मे प्रतिवादीगण क्रम 1,2,3,4,5 के विरूद्ध व मृतक खातेदार रामनाथी का भी नाम खाते से डिलीट कर वादीगणो बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा कि डिक्री एवं निर्णय पारित किया जावें तथा प्रतिवादीगण कि माँ रामनाथी का नाम 1/2 हिस्सा भूमि मे दर्ज है जिसको वादीगणो के खाते एवं हिस्से मे मर्ज किया जावे मृतक खातेदार रामनाथी का नाम खाते से खारिज किया जावें। वाद कारण दिनांक 15/12/2021 को प्रतिवादीगणो द्वारा रेवेन्यु अधिकारियो से नामान्तकरण बाबत सम्पर्क करने और जमीन पर से कब्जा छोडने बाबत ग्राम राजपुरा में जाकर धमकी देने पर और प्रतिवादीगणो द्वारा उक्त भुमि को अपने नाम खाते दर्ज करवाने के प्रयास से वाद कारण उत्पन्न हुआ है। अर्थात वादीगणो के पास मृतक खातेदार के नाम की 1/2 हिस्सा भूमि होने व मृतक खातेदार के वारीसों के नाम खातेदारी दर्ज करने कि वादीगणों के घर जाकर धमकी दी कि उक्त खाते कि आराजी को हमारे नाम खाते दर्ज करवाए।

वादीगण ने वाद प्रस्तुत कर निम्न आश्य की डिक्री पारित करवाने का निवेदन किया है:–

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

(अ) वाके माल राजपुरा पटवार क्षेत्र बम्बुलिया खुर्द मे खैवट खतोनी संख्या नई 126 पुरानी 113 मे ख0न0 165 रकबा 0.04 है०, ख0न0 301 रकबा 3.70 है०, ख0न0 350 रकबा 0.14 है0, ख0न0 351 रकबा 0.08 है०, ख0न0 415 रकबा 3.00 है० कुल किता 5 का रकबा 6.96 हैक्टेयर भूमि सामलाती खाते कि आराजी वादीगण के पास स्थित है जिसको वादीगणो के पक्ष में प्रतिवादीगण क्रम 1,2,3,4,5 के विरूद्ध व मृतक खातेदार रामनाथी का भी नाम खाते से डिलीट कर वादीगणो के हिस्से में मर्ज कर वादीगणो को उक्त भूमि का खातेदार घोषित किया जाने बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा कि डिक्री एवं निर्णय पारित किया जावें।

(ब) दोराने वाद प्रतिवादी अपनी माँ रामनाथी कि रेकार्डेड खातेदारी कि भूमि को किसी प्रकार से खाते में हेरफेर करदे तो उसको भी दुरस्त किया जावें।

वाद की ओर से वाद श्री सत्यनारायण मीणा एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। वाद दर्ज रजि0 किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन करवायी गई। प्रतिवादीगण 1 ता 04 न्यायालय में उपस्थित होकर इकबाली जवाब पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रतिवादी क्र0 05 सरकार पैरोकार का जवाब प्राप्त हुआ। जवाब सरकार में ख0न0 165 रकबा 0.04 है०, ख0न0 301 रकबा 3.70 है०, ख0न0 350 रकबा 0.14 है0, ख0न0 351 रकबा 0.08 है०, ख0न0 415 रकबा 3.00 है० कुल किता 5 का रकबा 6.96 हैक्टेयर भूमि खातेदारान तस्वीर, रामलीला पुत्री पाना बाई पत्नी स्वं0 नन्दकिशोर बृजबिहारी ना0 रामगोपाल, रामप्रताप पुत्रान दुलीचन्द हि0 बरा0 जाति मीना रामनाथी पुत्री रंगलाल हिस्सा 1/2 जाति मीना के खाते दर्ज रिकॉर्ड है। जिसकी जमाबंदी ग्राम राजपुरा संवत् 2073–2076 खाता नं0 खाता सं0 126 संलग्न है। मौके पर उपरोक्त वर्णित खसरा नं0 आराजी भूमि पर नन्दकिशोर पुत्र दुलीचन्द, बृजबिहारी नाबा0 पुत्र दुलीचन्द, रामगोपाल पुत्र दुलीचन्द, रामप्रताप पुत्र दुलीचन्द पाना बाई पत्नी स्व0 दुलीचन्द काश्त करते है। दिनांक 25.08.2025 को वादी अधिवक्ता द्वारा प्रा0 पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 14(3) व सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया जिसे स्वीकार कर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस में नियत की गई।

वादी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। दौराने बहस में वादी अधिवक्ता ने वाद में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वाद में उपस्थित दस्तावेजात का अवलोन व बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की माताजी श्रीमति रामनाथी पुत्री बंजरगलाल का हि0 1/2–हि0–1/2 दर्ज रिकॉर्ड है प्रतिवादीगण 1 ता 4 ने अपने जवाब 22.02.2022 में है कि वाद पत्र को स्वीकार कर निवदेन किया है कि उक्त वाद वाद में वर्णित आराजी से हम प्रतिवादीगणों को कोई सरोकार नहीं है। प्रकरण अनुसूचित जनजाति का होने से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होने से प्रतिवादीगणों द्वारा जवाब दावा में इकबालिया बताकर वाद में वर्णित आराजी से कोई सरोकार नही होने से सुविधा का सन्तुलन वादीगण के पक्ष में होने से वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिए जाते हैं कि वाके माल ग्राम राजपुरा पटवार क्षेत्र बम्बुलिया

उपखण्ड अधिकारी

खुर्द मे खैवट खतोनी संख्या नई 126 पुरानी 113 मे ख0न0 165 रकबा 0.04 है०, ख0न0 301 रकबा 3.70 है०, ख0न0 350 रकबा 0.14 है0, ख0न0 351 रकबा 0.08 है०, ख0न0 415 रकबा 3.00 है० कुल किता 5 का रकबा 6.96 हैक्टेयर भूमि में से उक्त अराजी की जमबंदी 2073–27 से रामनाथी पुत्री रंगलाल हि0 1/2 का नाम विलोपित कर वादीगण 1 ता 7 रामगोप, नन्दकिशोर, रामप्रताप, बृजबिहारी पुत्रान दुलीचन्द, तस्वीर, रामलीला पुत्रियां दुलीचन्द, पानाबाई पत्नि दुलीचन्द, को खातेदार घोषित किया जाता है। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा

उपखण्ड अधिकारी
इटावा